3992
29/12/18

आदेश

संयुक्त मजिस्ट्रेट/उपजिलाधिकारी कपकोट की आख्या/रिपोर्ट के आधार पर जनपद बागेश्वर के अंतर्गत वनलेख–मउडियार–ग्वातोली मार्ग के निर्माण हेतु प्रयुक्त वन भूमि 4.41 है0 की दुगुनी अवनत भूमि 8.820 है0 जो ग्राम कर्मी राजस्व उपनिरीक्षक क्षेत्र,कर्मी तहसील कपकोट जिला बागेश्वर के गैर जमीदारी विनाश खतौनी खाता संख्या–156 के पैमाईशी खेत नम्बर 16679 रकबा 1.688 है0 एंव खेत नं0 16680 रकबा 7.313 है0 मध्ये 7.132 है0 कुल रकबा 8.820 है0भूमि जो श्रेणी 9(3)ख (2)जंगल के रूप में दर्ज भूमि को शासनादेश संख्या 2173/XVIII(1) 2012–18 (120)/2012 दिनांक 17दिसम्बर, 2012 तथा पर्यावरण,वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार उत्तराखण्ड,देहरादून के पत्र संख्या–08 बी/यू0सी0पी0/06/262/2015/एफ0 सी0/917 दिनांक 02.08.2018 में दी गयी शर्तो के अधीन क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के पक्ष में नामांतरित/हस्तांतरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

जिलाधिकारी,
बागेश्वर

कार्यालय जिलाधिकारी,बागेश्वर ।

संख्या –36/ छब्बीस –28 वन /2017–18 दिनांक 29/12/18

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1– प्रभागीय वनाधिकारी,बागेश्वर वन प्रभाग,बागेश्वर।
2– संयुक्त मजिस्ट्रेट/उपजिलाधिकारी,कपकोट ।
3– अधिशासी अभियंता,निर्माण खण्ड ,लोक निर्माण विभाग,कपकोट।
4– तहसीलदार,कपकोट को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त वर्णित भूमि का हस्तांतरण/नामांतरण वन विभाग के पक्ष में करते हुए संबंधित भूमि की खतौनी की एक–एक प्रति मय प्रमाण पत्र सहित वन विभाग तथा याचक विभाग को उपलब्ध कराते हुए अधोहस्ताक्षरी को भी उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

जिलाधिकारी,
बागेश्वर।

29-12-18

सहायक अभियन्ता।
निर्माण खण्ड लो0 नि0 वि0
कपकोट